

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	518]	नई दिल्ली <i>,</i> सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940
No.	518]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 30 जुलाई,2018

संख्या 65 /2018- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 716(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 98 की उपधारा 30, धारा 98 की उपधारा 3 के उपवाक्य 30क, 41, 41क, 53, 54 और 56 तथा धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्व्दारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.** (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में, विनियम 1 में, उप-विनियम (2) में, अंक, अक्षर और शब्द
 "1 अगस्त, 2018" के स्थान पर अक्षर, अंक और शब्द "1 नवम्बर, 2018" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/58/2015- सीमाशुल्क/IV]

बी. कौंथोजम, अवर सचिव

टिप्पणी : इस प्रधान विनियमावली को सा.का.िन. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

4383 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

No. 65/2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -

- 1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Amendment) Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, in regulation 1, in sub-regulation (2), for the figures, letters and word "1st August, 2018", the words, figures and letters "the 1st November, 2018" shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015- Cus-IV]

B. KONTHOUJAM, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018.